

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./ (एफ-1029)/2023/


दिनांक :

संशोधन आदेश

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के अंतर्गत निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/नियु0/ले0टे0/1248/2011/26 दिनांक 10.01.2012 के द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार स्वामी को लैब टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10209/2021 अशोक मौर्य व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.09.2021 के परिप्रेक्ष्य में निदेशालय के पूर्व आदेश क्रमांक 70 दिनांक 07.02.2011 में वर्णित कार्यग्रहण की अन्तिम तिथि दिनांक 07.03.2011 से काल्पनिक लाभ (Notional Benefit) देय होने के फलस्वरूप उल्लेखित कर्मचारियों/याचिकाकर्ताओं के निदेशालय द्वारा पूर्व में जारी स्थाईकरण आदेश को प्रत्याहारित करते हुये राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के तहत दिनांक 07.03.2013 से स्थाईकरण किया जाकर लैब टेक्नीशियन पद के पै बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे 2400 का न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे:-

क. स.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	कार्य ग्रहण तिथि (वास्तविक)	कार्य ग्रहण तिथि (काल्पनिक)	परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने की दिनांक (काल्पनिक)
1	श्री चन्द्रपाल (लैब टेक्नी.)	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं।	05.04.1962	27.01.2012	07.03.2011	06.03.2013


- उक्त कार्मिको का वेतन नियतन संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पृथक से किया जावेगा।


(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर
दिनांक : 08/03/2023

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./ (एफ-1029)/2023/ 163

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुन्झुनूं।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं।
3. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
4. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।


निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर